



राजस्थान सरकार

कार्यालय परियोजना निदेशक (आरजीएचएस)

राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग

वित्त-भवन, डी-ब्लॉक, द्वितीय तल, जनपथ, ज्योति नगर, जयपुर

website: <https://www.rghs.rajasthan.gov.in>

Phone: 0141-2740250

email: [helpdesk.rghs@rajasthan.gov.in](mailto:helpdesk.rghs@rajasthan.gov.in)



क्रमांक: एफ.1 (246)/RGHS/IEC/2021-22/ 2728

दिनांक: 14/03/2022

सीमित निविदा सूचना

राज्यपाल महोदय की ओर से कार्यालय परियोजना निदेशक, राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, वित्त भवन, जयपुर, हेतु योजना के प्रचार-प्रसार हेतु विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्म विकसित किये जाने हैं। इस कार्य हेतु रजि. फर्म/कम्पनी/संस्था से दरे आमंत्रित की जाती है। सम्बन्धित फर्म/कम्पनी/संस्था निर्धारित निविदा प्रपत्र में दिनांक 21.03.2022 को मध्यान्ह 01:00 तक कार्यालय में भरकर प्रस्तुत करनी होगी। निविदा प्रपत्र एवं शर्तें राजस्थान उपापन पोर्टल (<http://sppp.rajnic.in>) एवं विभाग की वेबसाईट [www.sipf.rajasthan.gov.in](http://www.sipf.rajasthan.gov.in) से डाउनलोड की जा सकती हैं। निविदा प्रपत्र एवं शर्तें कार्यालय परियोजना निदेशक, राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, वित्त भवन, जयपुर से कार्यालय समय में दिनांक 21.03.2022 को मध्यान्ह 12:00 बजे तक प्राप्त किये जा सकते हैं। निविदा को उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष क्रय समिति द्वारा दिनांक 21.03.2022 मध्यान्ह 02:00 बजे खोला जायेगा। विलम्ब से प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।

27/1

(शिप्रा विक्रम)

परियोजना निदेशक

राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना



राजस्थान सरकार

कार्यालय परियोजना निदेशक (आरजीएचएस)

राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग

वित्त-भवन, डी-ब्लॉक, द्वितीय तल, जनपथ, ज्योति नगर, जयपुर



website: <https://www.rghs.rajasthan.gov.in>

email: [helpdesk.rghs@rajasthan.gov.in](mailto:helpdesk.rghs@rajasthan.gov.in)

Phone: 0141-2740252

(फर्म के लैटर हेड पर प्रस्तुत करना होगा)

विषय:- आरजीएचएस के आधिकारिक फेसबुक पेज, ट्वीटर अकाउन्ट मैनेजमेंट, इन्सटाग्राम मैनेजमेंट एवं आरजीएचएस संबंधित Templates, Slogans, Tag Lines को बनाने एवं यूट्यूब पर Creative Post संबंधित कार्य का निर्माण एवं संचालन (Activation)

1. नाम फर्म/कम्पनी/संस्था:-.....  
पता :-.....  
टेलीफोन :-.....  
पैन न :-.....  
फर्म का रजि. न :-.....

GST नं (If Applicable):-.....

2. संदर्भ निविदा विज्ञापित क्रमांक ..... दिनांक .....
3. कार्यालय परियोजना निदेशक आरजीएचएस राज्य बीमा एवं प्रा0 निधि विभाग (वित्त भवन) जयपुर में आरजीएचएस के आधिकारिक फेसबुक पेज, ट्वीटर अकाउन्ट मैनेजमेंट, इन्सटाग्राम मैनेजमेंट एवं आरजीएचएस संबंधित Templates, Slogans, Tag Lines को बनाने एवं यूट्यूब पर Creative Post संबंधित कार्य का निर्माण एवं संचालन (Activation) करने हेतु निविदा निम्नानुसार दर पर दी जानी है।

क्र.सं.	विवरण	कुल लागत (दरें सभी कर सहित )
1	आरजीएचएस के आधिकारिक फेसबुक पेज, ट्वीटर अकाउन्ट मैनेजमेंट, इन्सटाग्राम मैनेजमेंट एवं आरजीएचएस संबंधित Templates, Slogans, Tag Lines को बनाने एवं यूट्यूब पर Creative Post संबंधित कार्य का निर्माण एवं संचालन (Activation)	
	<b>TOTAL</b>	

कार्यालय परियोजना निदेशक आरजीएचएस राज्य बीमा एवं प्रा0 निधि विभाग (वित्त भवन) जयपुर आरजीएचएस के आधिकारिक फेसबुक पेज, ट्वीटर अकाउन्ट मैनेजमेंट, इन्सटाग्राम मैनेजमेंट एवं आरजीएचएस संबंधित Templates, Slogans, Tag Lines को बनाने एवं यूट्यूब पर Creative Post संबंधित कार्य का निर्माण एवं संचालन (Activation) कार्य करवाया जाना है। दरें वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए मान्य होंगी।

शु

निविदादाता के हस्ताक्षर



राजस्थान सरकार

कार्यालय परियोजना निदेशक (आरजीएचएस)

राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग

वित्त-भवन, डी-ब्लॉक, द्वितीय तल, जनपथ, ज्योति नगर, जयपुर

website: <https://www.rghs.rajasthan.gov.in>, email: [helpdesk.rghs@rajasthan.gov.in](mailto:helpdesk.rghs@rajasthan.gov.in), 0141-2740252

आरजीएचएस के आधिकारिक फेसबुक पेज, ट्वीटर अकाउन्ट मैनेजमेंट, इन्सटाग्राम मैनेजमेंट एवं आरजीएचएस संबंधित Templates, Slogans, Tag Lines को बनाने एवं यूट्यूब पर Creative Post संबंधित कार्य का निर्माण एवं संचालन (Activation) हेतु निविदा की सामान्य शर्तें

1. सोशल मीडिया प्लेटफार्म निर्माण एवं संचालन करने हेतु संस्थाओं द्वारा कार्य की दर प्रस्तुत करनी है।
2. कटिंग मान्य नहीं होगी। यदि है तो लघु हस्ताक्षर आवश्यक होंगे।
3. रजि. फर्म/कम्पनी/संस्था का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
4. विभाग के आईईसी गतिविधि प्रभारी द्वारा कार्य संतोषजनक पाये जाने का प्रमाण पत्र देने पर ही भुगतान किया जायेगा।
5. सफल निविदादाता को 500 रु के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर विभाग को एग्रीमेंट भरकर देना होगा एवं कुल देय राशि का 2.5 प्रतिशत रु की प्रतिभूति के रूप में नकद/बैंकर चेक/डी.डी. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रा0 निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर के नाम से जमा करवाने होंगे।
6. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के सभी उपबन्ध प्रभावी रहेंगे जिसमें निहित शर्तों की पालना के लिए अनुबन्धित फर्म बाध्य होगी।
7. निविदा प्रपत्र स्याही से भरा जावेगा पेंसिल से भरी हुयी निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।
8. निविदादाता को कार्यादेश देने के तीन दिवस में निविदा में अंकित विवरण अनुसार कार्य संपादित करना होगा।
9. भुगतान बिल तीन प्रतियों में प्रस्तुत करना होगा। उसके साथ बैंक पास बुक की प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति या कौंसिल चैक की प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
10. किसी प्रकार का विवाद होने पर परियोजना निदेशक/संयुक्त परियोजना निदेशक (आरजीएचएस) राज्य बीमा एवं प्रा0 निधि विभाग, वित्त, भवन, जयपुर का निर्णय अन्तिम होगा। विवाद होने पर न्याय क्षेत्र जयपुर होगा।
11. निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार परियोजना निदेशक (आरजीएचएस), राज्य बीमा एवं प्रा0 निधि विभाग, वित्त भवन, राजस्थान जयपुर को होगा।
12. निविदा अवधि में कार्य में होने वाली किसी भी दुर्घटना की समस्त जिम्मेदारी सम्बन्धित संस्था/निविदादाता की होगी।
13. दरें फर्म के लेटर पेड पर दी जाएगी। दरें सभी कर सहित सीलबंद लिफाफे पर देनी होगी एवं लिफाफे के बाहर उपर की ओर आरजीएचएस के आधिकारिक फेसबुक पेज, ट्वीटर अकाउन्ट मैनेजमेंट, इन्सटाग्राम मैनेजमेंट एवं आरजीएचएस संबंधित Templates, Slogans, Tag Lines को बनाने एवं यूट्यूब पर Creative Post संबंधित कार्य का निर्माण एवं संचालन (Activation) की दरें लिखा होना आवश्यक है। साथ ही कार्यालय का नाम लिखा होना आवश्यक है।
14. उक्त कार्य हेतु निविदादाताओं द्वारा निर्धारित प्रारूप में दरें दिनांक 21.03.2022 मध्यान्ह 01:00 बजे तक बन्द लिफाफे में प्रस्तुत करनी होगी।

(शिखा विक्रम)

परियोजना निदेशक

राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना

मैं/हम परियोजना निदेशक (आरजीएचएस) राज्य बीमा एवं प्रा0 निधि विभाग, वित्त भवन राजस्थान जयपुर द्वारा जारी निविदा संख्या .....वर्ष ..... दिनांक ..... में वर्णित सभी शर्तों को भली भांति पढ लिया है। हम उपरोक्त वर्णित सभी शर्तों की पालना करने के लिए सहमत है एवं सहमति के स्वरूप मेरे / हमारे द्वारा हस्ताक्षर कर दिये गये है।

निविदादाता के हस्ताक्षर

पता

मोबाईल नम्बर



राजस्थान सरकार

कार्यालय परियोजना निदेशक (आरजीएचएस)

राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग

वित्त-भवन, डी-ब्लॉक, द्वितीय तल, जनपथ, ज्योति नगर, जयपुर

website: <https://www.rghs.rajasthan.gov.in>

email: [helpdesk.rghs@rajasthan.gov.in](mailto:helpdesk.rghs@rajasthan.gov.in)

Phone: 0141-2740250

क्रमांक: एफ.1 (246)/RGHS/IEC/2021-22/ 2729

दिनांक: 14/03/2022

M/s -----

-----

-----

विषय :- आरजीएचएस के आधिकारिक फेसबुक पेज, ट्वीटर अकाउन्ट मैनेजमेंट, इन्स्टाग्राम मैनेजमेंट एवं आरजीएचएस संबंधित Templates, Slogans, Tag Lines को बनाने एवं यूट्यूब पर Creative Post संबंधित कार्य का निर्माण एवं संचालन (Activation) कार्य।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस कार्यालय में निम्न विवरणानुसार आरजीएचएस के आधिकारिक फेसबुक पेज, ट्वीटर अकाउन्ट मैनेजमेंट, इन्स्टाग्राम मैनेजमेंट एवं आरजीएचएस संबंधित Templates, Slogans, Tag Lines को बनाने एवं यूट्यूब पर Creative Post संबंधित कार्य का निर्माण एवं संचालन (Activation) कार्य हेतु दरें समस्त कर/खर्च के आमंत्रित की जाती है। प्राप्त दरें वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए मान्य होगी।

क्र.सं.	विवरण	कुल लागत (दरें सभी कर सहित)
1	आरजीएचएस के आधिकारिक फेसबुक पेज, ट्वीटर अकाउन्ट मैनेजमेंट, इन्स्टाग्राम मैनेजमेंट एवं आरजीएचएस संबंधित Templates, Slogans, Tag Lines को बनाने एवं यूट्यूब पर Creative Post संबंधित कार्य का निर्माण एवं संचालन (Activation)	2.00 लाख
	TOTAL	

अतः उक्त कार्य हेतु अपनी दरें फर्म के लेटर हैड में बंद लिफाफे में दिनांक 21.03.2022 को मध्याह्न 01:00 बजे तक इस कार्यालय में प्रस्तुत करें। लिफाफे के उपर "आरजीएचएस के आधिकारिक फेसबुक पेज, ट्वीटर अकाउन्ट मैनेजमेंट, इन्स्टाग्राम मैनेजमेंट एवं आरजीएचएस संबंधित Templates, Slogans, Tag Lines को बनाने एवं यूट्यूब पर Creative Post संबंधित कार्य का निर्माण एवं संचालन (Activation) हेतु निविदा" लिखा होना चाहिए। किसी भी प्रकार की जानकारी हेतु इस कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है।

अधोहस्ताक्षरकर्ता को किसी भी समय निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

उक्त कार्य के बिल का भुगतान संबंधित फर्म के बैंक खाते के माध्यम से किया जावेगा।

(शिखा विक्रम)

परियोजना निदेशक

राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना